(115)

COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र.कं. /2017 निगरानी R-3324 II-17

श्री ... द्वारा आज दि. 4.5.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विद्याराम दत्तक पुत्र बद्री प्रसाद
निवासी पुरानी बस्ती भिण्ड हाल वार्ड नं. 24
जामना रोड, भिण्ड तह. व जिला भिण्ड म.प्र.
.... अपीलार्थी

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन
2— मंदिर श्री भिण्डी ऋषी व एहतमाम पुजारी लक्ष्मणदास निवासी पुरानी बस्ती भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड म.प्र.

.... प्रत्यर्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना दिनांक 18.4.2017 अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहता 1959 प्र.क. 171/15—16 अपील।

श्रीमान,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1— यह कि, प्रत्यर्थी लक्ष्मणदास ने दिनांक 13.04.2015 को तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि, कस्बा भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे कं. 3553, 3554, 3555, 3994/1, 3994/2, 3994/3 एवं 4037 कुल किता 7 कुल रकवा 16 बीघा भूमि भिण्डी ऋषि मंदिर की भूमि है जिसका दिनांक 10.05.2012 को अपीलार्थी विद्याराम से कब्जा दिलाया गया था। अपीलार्थी उपर्युक्तभूमि पर कास्तकारी नहीं करने देता है, उसने अवैध रूप से पटि्टया गाढ़कर बाधा खड़ी कर दी है। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 7/13—14/बी—121 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2015 द्वारा राजस्व निरीक्षक भिण्ड को बाधा हटाने का निर्देश दिया गाय था । अतः प्रत्यर्थी को कब्जा दिलाया जाये एंव नवीन गाइड लाइन के अनुसार भारी अर्थदण्ड या 1,00,000/— रूपये जुर्माना दिलाया जाये।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1324–दो/2017 . जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 171/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–4–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को व्यवहार न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालयों के आदेश के पालन में बेदखल किया गया है पुनः अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने पर तहसीलदार द्वारा उनके प्रश्नाधीन प्रकरण में उसके द्वरा किए गए अवरोध को हटवाये जाने एवं व्यवधान करने के कारण उसके विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। चूंकि तहसीलदार द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों, व्यवहार न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की है जिसको दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	